

अनुदान संख्या 83- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 83-DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)			
राजस्व:	Revenue:		
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	2,00	44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		-1,56
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>		
मूल	Original	1723,48,00	
पूरक	Supplementary	118,17,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		76,54,17
	1841,65,00	1758,56,48	-83,08,52
पूंजीगत:	Capital:		
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>		
मूल	Original	66,90,00	
पूरक	Supplementary	1,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		शून्य Nil
	66,91,00	65,30,64	-1,60,36

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (8308.52 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए 11817.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 70 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.8308.52 lakhs) constituted 70 percent of the supplementary grants of Rs.11817.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2987.00	4013.41	3880.63	-132.78
पू.	S.	1000.00			
पु.	R.	26.41			
मुख्य शीर्ष "3425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research				
मू.	O.	169361.00	172497.42	171975.85	-521.57
पू.	S.	10817.00			
पु.	R.	-7680.58			

(I) 2080.00 लाख रु. का प्रावधान, मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - अन्य स्कीमें - अनुसंधान और विकास उपकर के अधीन प्राप्तियों के अंतर्गत अदायगी" के अंतर्गत एक मामले में पिछले वर्षों में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा संवितरित कर्जों की पुनर्अदायगी के परिणामस्वरूप हुए बैंक जमाओं में अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयवस्तुनिष्ठ मानचित्रण संगठन - राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयवस्तुनिष्ठ मानचित्रण संगठन कार्यालय" के अंतर्गत 1548.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 115.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1663.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 393.52 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण का अनुपालन न किए जाने की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति में तकनीकी कठिनाइयां आने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.2080.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "3425" - "Others - Other Schemes - Payment against receipts under Research and Development Cess" - due to availability of unspent balances in bank deposits accrued from repayment of loans disbursed by Technology Development Board in previous years.

(II) Under Major Head "3425" - "Others - National Atlas and Thematic Mapping Organisation (NATMO) - NATMO Office" - the original provision of Rs.1548.00 lakhs was augmented to Rs.1663.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.115.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.393.52 lakhs (including supplementary grant) - due to technical difficulties in procurement of equipments owing to non-compliance of Directorate General of Supplies and Disposals inspection and austerity measures.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग" - 2965.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3965.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, विशेषीकृत उपचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 112.99 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3425" -

(क) "भारतीय सर्वेक्षण" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - महासर्वेक्षक" - 3606.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2195.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5801.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 612.47 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ii) "स्थलाकृतिक सर्वेक्षण - सर्वेक्षण दल" - 8365.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3240.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 11605.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 385.22 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ समूह 'ख' संवर्ग द्वारा छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार न किए जाने, कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ न उठाए जाने और किफायती उपायों के कारण हुईं।

(ख) "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - वैज्ञानिक स्वायत्तशासी संस्थाओं/व्यावसायिक निकायों को सहायता" - 44200.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3450.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 47650.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, किफायती उपायों के कारण 203.12 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Science and Technology" - the original provision of Rs.2965.00 lakhs was augmented to Rs.3965.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.112.99 lakhs - due to requirement of less funds towards specialized treatment.

(B) Major Head "3425" -

(a) "Survey of India" -

(i) "Direction and Administration - Surveyor General" - the original provision of Rs.3606.00 lakhs was augmented to Rs.5801.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2195.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.612.47 lakhs; and

(ii) "Topographical Surveys - Survey Parties" - the original provision of Rs.8365.00 lakhs was augmented to Rs.11605.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3240.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.385.22 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-acceptance of 6th Central Pay Commission Report by some Group B cadre, non-availing of leave travel concession by staff and austerity measures.

(b) "Others - Assistance to Other Scientific Bodies - Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies" - the original provision of Rs.44200.00 lakhs was augmented to Rs.47650.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3450.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.203.12 lakhs - due to austerity measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) "नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - 1500.00 लाख रु. की बचत (14500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "सुरक्षा प्रौद्योगिकी का सूत्रपात" - 250.19 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "मौलिक अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं" - 1500.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थाओं/प्रयोगशालाओं से उपयुक्त परियोजनाओं के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) "प्रेरित अनुसंधान संबंधी वैज्ञानिक खोज में नवीकरण" - 4463.38 लाख रु. की बचत (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति/आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.21 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3339.66 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3425" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "भारतीय सर्वेक्षण - अन्य व्यय - अन्य स्कीमें" - 739.66 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 599.56 लाख रु. था।

(IV) Under Major Head "3425" - "Others - Assistance to Other Scientific Bodies" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "National Mission on Nano Science and Nano Technology" - saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14500.00 lakhs);

(B) "Security Technology Initiative" - saving of Rs.250.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(C) "Mega Facilities for Basic Research" - saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less receipt of deserving projects from various Research and Development Institutions/Laboratories.

(D) "Innovations in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE)" - saving of Rs.4463.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8500.00 lakhs) was due to delayed approval by Expenditure Finance Committee/Cabinet Committee on Economic Affairs.

(V) Under one head saving of Rs.65.21 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.3339.66 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under Major Head "3425" - under the following heads:-

(A) "Survey of India - Other Expenditure - Other Schemes" - Rs.739.66 lakhs. Actual excess, however, was Rs.599.56 lakhs.

(खा) “अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” -

(क) “सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान” - 600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 599.66 लाख रु. था।

(ख) “प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम” - 800.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 798.77 लाख रु. था।

(ग) “राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम” - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 395.46 लाख रु. था।

(घ) “सहक्रिया परियोजनाएं” - 800.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 799.95 लाख रु. था।

(B) “Others - Assistance to Other scientific Bodies” -

(a) “Grants-in-aid for Science and Technology Programmes for Socio Economic Development” - Rs.600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.599.66 lakhs.

(b) “Technology Development Programme” - Rs.800.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.798.77 lakhs.

(c) “State Science and Technology Programme” -Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.395.46 lakhs.

(d) “Synergy Projects” - Rs.800.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.799.95 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3425” - “अन्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य कार्यक्रम” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 209.16 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 630.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बर्लिन, मास्को, टोक्यो और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावासों में विज्ञान परामर्शदाताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3425” - “Others - International Co-operation - Other Programmes” - excess of Rs.209.16 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.630.50 lakhs including supplementary grant of Rs.100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for the Science Counselors in the Indian Embassies at Berlin, Moscow, Tokyo and Washington.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
------------------------------	----------------------------------------	-----------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष “5425” अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head “5425” Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research
मू.	O. 690.00
पू.	S. 1.00
पु.	R. 350.00

1041.00

880.64

-160.36

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "7425"	Major Head "7425"			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर्ज	Loans for Other Scientific Research			
मू.	O.	6000.00	5650.00	5650.00
पु.	R.	-350.00		

(I) 20.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "7425" - "औषध निर्माण अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक निकायों को कर्ज - औषध निर्माण उद्योगों को कर्ज और अग्रिम" के अंतर्गत 350.00 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (275.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5425" - "भारतीय सर्वेक्षण - भवन" के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 149.95 लाख रु. था।

(II) बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 59.69 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत थीं।

(I) Provision of Rs.20.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "7425" - "Loans to Scientific Bodies for Pharmaceuticals Research - Loans and Advances to Pharmaceuticals Industries" - saving of Rs.350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals.

4.(I) The above savings were partly (Rs.275.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in February, 2009 under Major Head "5425" - "Survey of India -Building". Actual excess, however, was Rs.149.95 lakhs.

(II) Savings were also offset by an excess of Rs.59.69 lakhs under one head constituting 43 percent of the sanctioned provision.